पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2024-2026

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–25] रुड़की, शनिवार, दिनांक 06 जनवरी, 2024 ई0 (पौष 16, 1945 शक सम्वत्) [संख्या–01

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	01–19	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	01–06	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	01–02	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

श्रम अनुभाग

अधिसूचना

22 अगस्त, 2023 ई0

संख्या 148540/VIII/23-331(श्रम)/2002–उत्तराखण्ड दुकान और स्थापन (रोजगार विनियमन एवं सेवा–शर्त) अधिनियम, 2017 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 03 वर्ष, 2018) की धारा–26 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके श्री राज्यपाल, राज्य के जनपद बागेश्वर की 47–बागेश्वर (अ0जा0) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उप निर्वाचन–2023 हेतु दिनांक 05 सितम्बर 2023 (मंगलवार) को मतदान के लिए उक्त संबंधित क्षेत्र में स्थित समस्त दुकानों एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में मतदान की तिथि 05 सितम्बर 2023 (मंगलवार) को, उक्त अधिनियम की धारा–26 के उपबन्धों के अधीन, यदि उक्त दिवस को ऐसे दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के अन्तर्गत मनाये जाने वाली सामान्य साप्ताहिक छुट्टी का दिन न हो तो मतदान के दिवस को "सवेतन सार्वजनिक अवकाश" के रूप में मनाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. कारखाने के विषय में निर्देश दिये जाते हैं कि–

(i) कारखानों के विषय में यदि मतदान की तिथि 05 सितम्बर 2023 (मंगलवार) साप्ताहिक अवकाश का दिन नहीं है, तो संबंधित कारखाने के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा–135 (ख) के प्रावधानों के अधीन सवेतन अवकाश का दिन मनाया जायेगा तथा श्रमिकों को मतदान हेतु सवेतन सार्वजनिक अवकाश प्राप्त होगा।

(ii) किन्तु अविरल प्रक्रिया (Continous Process) वाले कारखानों में कारखाना प्रबंधक अपने समस्त कर्मचारियों/कर्मकारों को मतदान का समुचित एवं पर्याप्त (Responsible and Sufficient) अवसर प्रदान करेंगे तथा उन्हें मताधिकार से वंचित नहीं करेंगे।

आज्ञा से,

आर0 मीनाक्षी सुन्दरम्,

सचिव।

वित्त अनुभाग–8

विज्ञप्ति/तैनाती

27 सितम्बर, 2023 ई0

संख्या 157493/2023/13(100)/XXVII(8)/2001–शासन के पदोन्नति आदेश सं0–138302/2023, दिनांक 14.07.2023 द्वारा उत्तराखण्ड प्रांतीय राजस्व सेवा (कर) नियमावली, 2016 के अधीन राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड में कार्यरत 03 उपायुक्त को विभागीय चयन समिति की संस्तुति के क्रम में संयुक्त आयुक्त, राज्य कर, वेतन मैट्रिक्स लेवल '12' रू0 78800–209200 के रिक्त पदों के सापेक्ष कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नत किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

02– उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित तैनाती स्थल/कार्यालय में तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्र0सं0	अधिकारी का नाम/पदनाम	नवीन तैनाती स्थल/कार्यालय
1	श्री रोशन लाल, संयुक्त आयुक्त।	संयुक्त आयुक्त, वि.अनु.शा./प्रवर्तन, राज्य कर, हल्द्वानी।
2	श्रीमती स्मिता, संयुक्त आयुक्त।	संयुक्त आयुक्त, कार्य पालक, राज्य कर, हल्द्वानी।
3	श्री श्याम सुन्दर तिरूवा, संयुक्त आयुक्त।	संयुक्त आयुक्त, वि.अनु.शा./प्रवर्तन, राज्य कर, देहरादून।

03— उक्त अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी तैनाती के स्थल पर तत्काल योगदान प्रस्तुत करते हुए योगदान आख्या शासन को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

दिलीप जावलकर,

सचिव।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–5

अधिसूचना

प्रकीर्ण

27 सितम्बर, 2023 ई0

संख्या 366/XXVIII(5)/23 (E-39191)—राज्यपाल "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग (मेडिकल कॉलेज) नर्सिंग संवर्ग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2020 में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते है:—

उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग (मेडिकल कॉलेज) नर्सिंग संवर्ग (अराजपत्रित) सेवा (संशोधन) नियमावली, 2023

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग (मेडिकल कॉलेज) नर्सिंग संवर्ग (अराजपत्रित) सेवा (संशोधन) नियमावली, 2023 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 16 में संशोधन 2. उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग (मेडिकल कॉलेज) नर्सिंग संवर्ग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली–2020 के नियम 16 के अंत मे निम्नवत् एक परन्तुक जोड़ दिया जायेगा ; अर्थात् :—

परन्तु यह कि चयन वर्ष 2023–24 हेतु एक बार के लिए वर्षवार योग्यताक्रम में जैसा कि अभ्यर्थी द्वारा डिग्री/डिप्लोमा में प्राप्त अंकों से प्रकट हो, के आधार पर आरक्षण रोस्टर का अनुपालन करते हुए चयन किया जायेगा। एतद हेतु समय–समय पर निर्गत नियम–16 के अन्य संशोधन के नियमावलियों के प्राविधानों को निम्नांकित प्रक्रिया के अनुपालन हेतु केवल चयन वर्ष 2023–24 के लिए इस सीमा तक अधिक्रमित किया जाता है :—

1. नर्सिंग अधिकारी के रिक्त पदों पर 80 प्रतिशत महिला अभ्यर्थी और 20 प्रतिशत पुरूष अभ्यर्थी का चयन किया जायेगा।

2. चयन हेतु कुल उपलब्ध रिक्त पदों में से 70 प्रतिशत पद नर्सिंग में डिप्लोमाधारक अभ्यर्थियों तथा 30 प्रतिशत पद नर्सिंग में डिग्रीधारक अभ्यर्थियों में से वर्षवार योग्यताक्रम में जैसा कि अभ्यर्थी द्वारा डिग्री/डिप्लोमा में प्राप्त अंको से प्रकट हो, के आधार पर आरक्षण रोस्टर का अनुपालन करते हुए चयन किया जायेगा।

3. सीधी भर्ती उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा सम्पादित की जायेगी।

4. उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड सीधी भर्ती के लिये आनलाइन एवं ऐसे दो दैनिक समाचार पत्रों में जिनका व्यापक परिचालन हो, विज्ञप्ति जारी करेगा।

5. चयन समिति नियम 6 के अधीन उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच करेगी।

6. डिप्लोमा/डिग्री परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के बराबर ही अंक देय होंगे।

7. चयन समिति, डिप्लोमा तथा डिग्रीधारक अभ्यर्थियों (महिला/पुरूष) की योग्यताक्रम में, जैसा कि डिप्लोमा/डिग्री में उनके द्वारा प्राप्त अंकों से प्रकट हो, पृथक–पृथक सूचियां तैयार करेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करें तो चयन समिति उनके नाम अभ्यर्थी की आयु, जिसकी जन्मतिथि पहले हो उसका नाम पहले, के आधार पर योग्यता क्रम में रखेगी। सूची के नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु 25 प्रतिशत से अधिक नहीं) होगी। इस प्रकार तैयार की गयी सूची केवल एक वर्ष के लिए मान्य होगी। चयन बोर्ड सूची में अपेक्षित संख्या में अभ्यर्थियों के नाम योग्यताक्रम में, नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

चयन वर्ष 2023–24 के उपरान्त उक्त परन्तुक में दी गयी व्यवस्था स्वतः समाप्त मानी जायेगी।

आज्ञा से,

डॉ0 आर0 राजेश कुमार,

सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of article 348 of the "Constitution of India", the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No.366/ XXVIII(5)/23-(E-39191) Dated September 27, 2023 for general information.

NOTIFICATION

September 27, 2023

No.366/XXVIII(5)/23-(E-39191)--In exercise of the powers conferred by the proviso to the article 309 of the "Constitution of India", the Governor is pleased to make the following rules with a view to amend the Uttarakhand Medical Education Department (Medical College) Nursing Cadre (Non-Gazetted) Service Rules, 2020;

The Uttarakhand Medical Education Department (Medical College) Nursing Cadre (Non-Gazetted) Service (Amendment) Rules, 2023

Short title and commencement 1. (1) These rules may be called the the Uttarakhand Medical Education Department (Medical college) Nursing Cadre (Non-Gazetted) Service (Amendment) Rules, 2023.

(2) It shall come into force at once.

Amendment in rules 16 2. In the Uttarakhand Medical Education Department (Medical College) Nursing Cadre (Non-Gazetted) Service Rules, 2020 at the end of rule 16 following proviso shall be added as follows, namely:-

Provided that for selection year 2023-2024 for one time in merit order year wise on the basis of as revealed from marks obtained in degree/Diploma by candidate selection shall be done in compliance of reservation roster. Hereby only for selection years 2023-2024 for compliance of following procedure provision of rule of other amendment of rule 16 issued from time to time shall be superseded to this extent

1- on the vacant post of nursing officer selection of 80 percent female candidate and 20 percent male candidate shall be made.

2- On total available vacant post for selection 70 percent post from diploma holder candidate in nursing and 30 percent post from degree holder candidate in merit order year wise on the basis of as revealed from marks obtained in degree/Diploma by candidate selection shall be done in compliance of reservation roster.

3- Direct recruitment shall be conducted by the Uttarakhand medical service selection board .

4- for the direct recruitment Uttarakhand medical service selection board shall issue a advertisement online and in two such daily news paper which has adequate circulation.

5- selection committee shall scrutinize the application form received keeping in view necessity of ensuring proper representation of candidate of schedule caste, schedule tribe other backward category and other category of Uttarakhand state under rule 6.

6- Marks equal to the percentage of marks obtained in Diploma/Degree examination shall be given.

7- The Selection Committee shall prepare separate lists of Diploma and Degree holder candidates(Female/Male in order of merit, as revealed by the marks obtained by them in Diploma/Degree. If two or more candidates obtain the same marks the selection committee shall place their names in order of merit on the basis of the age of the candidate whose date of birth is earlier. The number of

names in the list shall be more than the number of vacancies (but not more than 25 percent).The list thus prepared shall be valid only for one year. The selection board shall forward the names of the required number of candidates in the list to the appointing authority in order of merit.

After the selection year 2023-24 the arrangement given in the above proviso shall automatically be deemed to have ended.

By Order,

DR. R. RAJESH KUMAR,

Secretary.

श्रम अनुभाग

अधिसूचना

03 नवम्बर, 2023 ई0

संख्या I/166316/VIII-1/23-70(श्रम)/2001-II–रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल के पत्र सं0–352/UHC/Admin.A-2/2023, दिनांक 25.10.2023 एवं पत्र सं0–353/UHC/Admin.A-2/2023, दिनांक 25.10.2023 में की गयी संस्तुति के क्रम में उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम–1947 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 वर्ष, 1947) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) के अधीन श्रमिकों के विवादों के निस्तारण करने हेतु उत्तर प्रदेश, श्रम न्यायालय/औद्योगिक न्यायाधिकरण अधिकारी (नियुक्ति और नियोजन की शर्तें) नियमावली–1996 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) एवं उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम–2000 की धारा–89 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में दावों का निस्तारण करने हेतु निम्नवत तालिका में अंकित न्यायाधीश को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–2 में वर्णित श्रम न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के रूप में प्रचलित सामान्य शर्तों के अधीन अतिरिक्त प्रभार दिये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्र.सं.	न्यायाधीश का नाम/वर्तमान तैनाती का स्थल	अतिरिक्त प्रभार
1	सुश्री सविता चमोली, कानूनी सलाहाकार, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।	पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, हरिद्वार जिला– हरिद्वार।
2	श्री रितेश कुमार श्रीवास्तव, अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश, काशीपुर, जिला–ऊधमसिंहनगर ।	पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय काशीपुर, जिला– ऊधमसिंहनगर।

आज्ञा से,

आर0 मीनाक्षी सुन्दरम,

सचिव।

TOURISM SECTION

NOTIFICATION

November 24, 2023

No.170975/VI/2023--The Governor is pleased to promulgate the Modification of New Tourism Policy, 2023-30 for promoting the development and Investment and opportunities of employment in the Tourism Sector.

Modification of New Tourism Policy, 2023-30

S.N.	Section/ Head of Tourism Policy 2023-30	Existing Provisions	Amendment
1	**Section 16** *(Incentives for Tourism Sector, Page 64 NIC Codes for Hospitality Projects*	**Table 1: Eligible development** **NIC Code** **Type of Unit** 55101 Expansion of existing Hotels /Resorts etc. (min. expansion/ addition of 15 rooms per Hotel/Resort unit) 86901 Yoga, Ayurveda and Naturopathy Resorts. 55200 Cruise boats, Yachts, house boats and establishment of boat clubs	Table 1: Eligible development **NIC Code** **Type of Unit** 55101 Expansion of existing Hotels/Resorts etc. (min. expansion/ addition of 10 rooms per Hotel/ Resort unit) 55101 Yoga, Ayurveda and Naturopathy Resorts 55101 Cruise boats, Yachts, house boats and establishment of boat clubs
2	**Section 16** *(Incentives for Tourism Sector, Page 67 NIC Codes for Development of Tourism Product and Services*	**Table 2: Eligible development** **NIC Code** **Type of Unit** 55200 Caravan, Motor Houses, Cruise boats, Yachts, house boats	**Table 2: Eligible development** **NIC Code** **Type of Unit** 50212 Caravan, Motor Houses, Cruise boats, Yachts, house boats
3	**Definitions Page 70**	**Eligible Capital Assets** *"Eligible Capital Assets" or "ECA"* shall mean and include site-level infrastructure (fencing, construction of internal roads, and other basic infrastructure facilities); structures & buildings; plants, indigenous & imported machinery & equipment, material handling equipme	**Eligible Capital Assets** *"Eligible Capital Assets"* or *"ECA"* shall mean and include site-level infrastructure (fencing, construction of internal roads, and other basic infrastructure facilities); structures & buildings; plants, indigenous & imported machinery &equipme

			nt; mechanical, electrical & plumbing installations, fixtures, furniture & fittings; utilities including waste treatment facilities, transformers, generators, captive power plants, etc., and other supportive facilities installed for use in the premises and includes installation charges. ECA shall not include: • Land • Intangible assets including, without limitation, Intellectual Property rights and good will All capital assets should have been paid for and should be owned or leased by the project, provided that the duration of such lease shall be: • For building, no less than 10 years; and • For all other fixed assets – no less than half the estimated residual lifetime of the asset (where such residual lifetime shall be estimated by a licensed engineer, in the manner that may be specified by the Government of Uttarakhand, from time to time). Capital assets that are leased shall be valued at the Net Present Value of said assets, as on the date of execution of the lease deed or date of MoU (if applicable), whichever is later, using a discount rate of 10%, or as may be notified from time to time, provided that the lease is executed within the investment period. All capital assets should be used and installed only within the Project Site. Eligible investment in ECA shall not include:	nt, material handling equipment; mechanical, electrical & plumbing installations, fixtures, furniture & fittings; utilities including waste treatment facilities, transformers, generators, captive power plants, etc., and other supportive facilities installed for use in the premises and includes installation charges. ECA shall not include: • Land • Intangible assets including, without limitation, Intellectual Property rights and goodwill All capital assets should have been paid for and should be owned by the project. All capital assets should be used and installed only within the Project Site. Eligible investment in ECA shall not include: • Pre-construction expenses and cost of consultants • Capitalized interest • Working capital In case of Expansion projects, the ECA shall be counted only for the expansion component, as above.

		• Pre-construction expenses and cost of consultant • Capitalized interest • Working capital In case of Expansion projects, the ECA shall be counted only for the expansion component, as per the calculation outlined above.	
4	**Section 17 – Implementation Mechanism** *(Section on Implementation Mechanism i.e., Page 73,74 and 75 of the Policy document)*	The Uttarakhand Tourism Development Board shall be the implementation and administration agency for this Policy. The Department of Tourism may choose to assign any other body for implementation of the Policy from time-to-time. The Government of Uttarakhand shall institute requisite frameworks to facilitate a conducive environment for effective implementation of projects & schemes under the Uttarakhand Tourism Policy. **Key Institutions** **High-powered Committee on Tourism** A High-Powered Committee on Tourism (HPCT) shall be constituted to sanction tourism projects above a threshold investment and to disburse incentives under this policy. Another committee called Integrated Tourism Committee (ITC) shall also be constituted to sanction tourism projects below the threshold and to disburse incentives under this policy. The investors who wish to avail tourism sector incentives and subsidies of the state must apply and get the project registered in UTDB and simultaneously with Single Window Clearance System. UTDB shall form a Tourism Investment Facilitation Centre (TIFC) headed by an appointed Nodal Officer to coordinate between State Single Window Portal and the applicant, in attaining necessary project sanctions, licenses, NOCs and approvals. For projects with investment exceeding INR 25 Crore, UTDB shall forward the project with its recommendations to HP	The Government of Uttarakhand shall facilitate a conducive environment for effective implementation of projects & schemes under the Uttarakhand Tourism Policy 2023. The Department of Tourism shall be the nodal department for the Policy and the Uttarakhand Tourism Development Board (UTDB) shall be the implementation and administration agency for this Policy. UTDB shall also be the nodal body supporting SLEC and ITC for implementation of the Tourism Policy and its incentives package. **Key Institutions** **State Level Empowered Committee (SLEC)** formed under the provisions of Uttarakhand Single Window Clearance Act 2012 shall oversee the execution of Uttarakhand Tourism Policy 2023. The SLEC would provide the in- principle approval for non-MSME projects (investment greater than INR 50 Cr or as amended from time to time) and approve disbursement for all projects under this Policy post ITC and DLCT review. **District Level Empowered Committee (as per Single Window Clearance Act, 2012)** would provide the in-principle approval for MSME projects (investment less than or equal to INR 50 Cr or as amended from time to time). **District Level Committee for Tourism (DLCT)** shall be constituted at each district for physical verification and monitoring. This committee shall issue the verification report (on pro

			CT for Incentive / Subsidy claim approval. For projects with investment below INR 25 Crore and for subsidies other than capital investments, UTDB shall forward the project with its recommendations to Integrated Tourism Committee for approval of Incentive / Subsidy claim. The final grant of curated incentives approval shall be decided by the HPCT (for applications exceeding Rs. 25 Crores) or ITC, which will, inter-alia, consider the prima-facie eligibility of the tourism unit, and decide the eligibility for the applicant under the scheme. **The HPCT shall be constituted as follows:** • Chief Secretary (Chairperson) • Principal Secretary / Secretary - Tourism • Principal Secretary / Secretary Planning / CEO UIIDB • Principal Secretary / Secretary Industries • Principal Secretary / Secretary Finance • Principal Secretary / Secretary PWD • Principal Secretary / Secretary AYUSH • CEO UTDB- Member/ Convenor • Chief Conservator of Forests, Department of Forest • Other members as required, on a case-to-case basis, may be co-opted as special invitees. **The ITC shall be constituted as follows:** • Principal Secretary / Secretary - Tourism (Chairperson) • Principal Secretary / Secretary Planning / CEO UIIDB	ject progress, completion, COD, etc.) for the unit claiming subsidies and incentives. Constitution of DLCT shall be as follows: • Chief Development Officer (Chairperson) • General Manager, DIC • District Tourism Development Officer (Member Secretary) • Any other officer nominated by Chairperson **Integrated Tourism Committee (ITC)** shall be formed under the Chairmanship of CEO UTDB and shall basis DLCT report and documentation review forward subsidy / incentive disbursement recommendations to SLEC. Constitution of ITC shall be as follows: • Chief Executive Officer, UTDB (Chairperson) • Additional Chief Executive Officer, UTDB • Joint Commissioner, State Tax • Director Finance, UTDB (Convener) • AGM / CM or Eq., State Level Bankers Committee • Nodal Officer nominated by CEO, UTDB (Member Secretary) The ITC shall also undertake the following roles: • Review and forward recommendation for disbursement of

			• Principal Secretary / Secretary Finance • CEO UTDB- Member/ Convenor • Other members as required, on a case-to-case basis, may be co-opted as special invitees. The roles and responsibilities of the two committees shall be: • To prioritize, sanction and approve applied private sector tourism projects for availing state's incentives and subsidies. • To inspect, visit, review and monitor any projects regarding its implementation, execution, operation and management. • To receive periodic feedback and suggestions from the stakeholders (such as representative of local community) tourism professionals (tour operators, hoteliers etc.), representatives from Government agencies, industry bodies, practitioners, academicians, etc. • To meet at least 3 times in one year. HPCT shall have the following additional roles and responsibilities: • To recommend special legislation for formation of appropriate regulatory mechanism, robust grievance redressed mechanism as may be required. • To frame and issue guidelines for PPP initiatives in tourism sector. To approve sp	subsidy / incentives for projects to SLEC. • Inspect, visit, review and monitor any projects regarding its implementation, execution, operation and management. • Receive periodic feedback and suggestions from the stakeholders (such as representative of local community) tourism professionals (tour operators, hoteliers, etc.), representatives from Government agencies, industry bodies, practitioners, academicians, etc. • Recommend special legislation for formation of appropriate regulatory mechanisms, robust grievance redressal mechanisms – as required. • Frame and issue guidelines for PPP initiatives in tourism sector. • Approve specific service levels for the PPP Partners and ensure formulation of Service Level Agreement (SLA) between the PPP Partners and UTDB. • Ensure appropriate auditing & monitoring standards are developed and maintained to ensure highes

			ecific service levels for the PPP Partners and ensure formulation of Service Level Agreement (SLA) between the PPP Partners and UTDB. • To review, revise / modify the existing Floor Area Ratio (FAR) applicable to tourism units and send recommendations to concerned Departments / Authorities for implementation. • To review progress of major projects / programmes undertaken and analyse the achievements with respect to the targets, both financial & physical and decide on corrective actions, if required. • To ensure appropriate auditing & monitoring standards are developed and maintained to ensure highest standards of transparency and accountability. • To constitute from time to time, any committees / sub-committees from various experts / members and/or staff, and assign specific responsibilities. The State is evaluating the creation of a Nodal Agency for PPP in the State (Uttarakhand Investment & Infrastructure Development Board), and in the event of creation of the Board, the High-Powered Committee shall cease to exist, and the decision making shall be transferred to the Nodal Agency (UIIDB). **Procedure for Availing Incentives** The process for availing financial assistance under this Policy shall be separate based on Category of project.	t standards of transparency and accountability. • Constitute from time to time, any committees / sub-committees from various experts / members and /or staff and assign specific responsibilities. **Tourism Investment Facilitation Centre (TIFC)** The investors who wish to avail tourism sector incentives and subsidies of the state must apply and get the project registered with Single Window Clearance System. UTDB shall also form a Tourism Investment Facilitation Centre (TIFC) headed by an appointed Nodal Officer UTDB to coordinate between State Single Window Portal and the applicant, in attaining necessary project sanctions, licenses, NOCs and approvals.**TIFC / Nodal officer shall also be responsible for documentation, verification and screening of applications received under Uttarakhand Tourism Policy 2023.** **Procedure for Availing Incentives** The process for availing financial assistance under this Policy shall be as follows: **1. Process flow for In-principal approval** • Eligible tourism units shall apply on Single Window Clearance System at https://inv

			Process flow for approval of incentive/ subsidy claim by a tourism unit Step 1: Single window clearance portal to be facilitated by Industries Department Step 2: Tourism investor to select Tourism in CAF application for incentives Step 3: In-Principle approval to be provided by the Tourism Department Step 4: Claim Incentive via Single Window & Disbursement by UTDB (through TIFC) **Claim Disbursement Process flow of Incentive/Subsidy of a Tourism Unit** Step 1: Tourism investor applies for the claim via Single Window portal Step 2: Claim received by the Nodal officer Step 3a: Claim forwarded to Uttarakhand Tourism Development Board Step 3b: Claim forwarded to TIFC for validation of eligibility Step 4a: For investment under INR 25 crores and for subsidies other than capital investments – ITC to approve and send to CEO, UTDB for providing certificate Step 4b: For investments of INR 25 crores and above: HPCT (UIIDB post its creation) to approve and send to CEO, UTDB for providing certificate Step 5: Department of Finance, UTDB disburses the approved amount **Operational Guidelines** Operational guidelines published by the Tourism Department, from time-to time, shall be applicable for incentives to be approved and disbursed under this policy. **Grievance Redressal related to Implementation of this Policy** The State Government reserves the right to:	estuttarakhand.uk.gov. in/ for registration cum In-Principle approval • Investor seeking incentives under the Uttarakhand Tourism Policy2023 shall select "Tourism / Tourism Policy 2023" in the CAF application for incentives and fill in all relevant details and documentation *In-principle approval shall be as per Uttarakhand Single Window Clearance Act 2012.* *The process shall be further detailed in Operational Guidelines for Uttarakhand Tourism Policy 2023* **2. Process flow for Claim and Disbursement of Incentive / Subsidy** *Process for claim and disbursement of incentive / subsidy shall be detailed in Operational Guidelines for Uttarakhand Tourism Policy 2023* **Operational Guidelines** Operational guidelines published by the Tourism Department, from time-to-time, shall be applicable for incentives to be approved and disbursed under this Policy. **Grievance Redressal related to Implementation of this Policy** The State Government reserves the right to: • Amend any provision(s) including amendment or withdrawal of any of the support mechanisms as and when necessar

		• Amend any provision(s) including amendment or withdrawal of any of the support mechanisms as and when necessary, from time to time under the provision of the Policy. • Review the matter regarding sanction/ disbursement of support to the eligible Tourism Project and in this connection, the State Government's decision shall be final and binding. • Make/ amend the necessary rules for implementation of this Policy as and when required. In case of any conflicts, the High-Powered Committee on Tourism may take a decision in accordance with the prevailing policy and the decision thus taken shall be final and binding on all concerned and its compliance shall be mandatory for the concerned department / parties.	• Review the matter regarding sanction/ disbursement of support to the eligible Tourism Project and in this connection,the State Government's decision shall be final and binding. • Make / amend the necessary rules for implementation of this Policy as and when required. • In case of any conflicts, the SLEC may take a decision in accordance with the prevailing policy and the decision thus taken shall be final and binding on all concerned and its compliance shall be mandatory for the concerned department / parties.

By Order,
SACHIN KURVE,
Secretary.

उच्च शिक्षा अनुभाग–02

कार्यालय ज्ञाप

28 नवम्बर, 2023 ई0

संख्या 171368 / XXIV-C-2/2023-13(06)2013–एतद्द्वारा सम्यक विचारोपरान्त तत्काल प्रभाव से राजकीय आदर्श महाविद्यालय, देवीधूरा (चम्पावत) का नाम "शहीद सूबेदार मेजर नंदन सिंह चम्याल राजकीय आदर्श महाविद्यालय, देवीधूरा (चम्पावत)" किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

शैलेश बगौली,
सचिव।

राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड

विज्ञप्ति

29 नवम्बर, 2023 ई0

पंत्राक– 5187/तीन–61/च0सं0/2022–23–उत्तराखण्ड शासन, राजस्व, अनुभाग–3, देहरादून के शासनादेश संख्या–738/XVIII(3)/2023–03 (02)/2022, दिनांक 03 नवम्बर 2023 से प्राप्त अनुमति के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम–1953 (उ0प्र0अधिनियम संख्या–5, सन् 1954) (उत्तराखण्ड में प्रवृत्त) की धारा–52 की उपधारा–(1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं चन्द्रेश कुमार, संचालक चकबन्दी, उत्तराखण्ड, देहरादून एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से जनपद ऊधमसिंहनगर, तहसील व परगना रूद्रपुर, के निम्न ग्राम में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी है:–

क्र0सं0	ग्राम का नाम	तहसील	परगना	जनपद
1	2	3	4	5
1–	कुरैया	रूद्रपुर	रूद्रपुर	ऊधमसिंहनगर

चन्द्रेश कुमार,
संचालक चकबन्दी/
आयुक्त एवं सचिव,
उत्तराखण्ड, देहरादून ।

श्रम अनुभाग

अधिसूचना

13 दिसम्बर, 2023 ई0

संख्या 773/VIII-1/23-ई0 पत्रावली सं0–64303/2023–रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल के पत्र सं0–391/UHC/Admin.A-2/2023, दिनांक 06.12.2022 के क्रम में उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम–1947 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 वर्ष, 1947) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) के अधीन श्रमिकों के विवादों के निस्तारण करने हेतु उत्तर प्रदेश, श्रम न्यायालय/औद्योगिक न्यायाधिकरण अधिकारी (नियुक्ति और नियोजन की शर्तें) नियमावली–1996 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) एवं उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम–2000 की धारा–89 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में दावों का निस्तारण करने हेतु निम्नवत तालिका में अंकित न्यायाधीश को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–2 में वर्णित श्रम न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के रूप में प्रचलित सामान्य शर्तों के अधीन नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्र॰सं॰	न्यायाधीश का नाम/वर्तमान तैनाती का स्थल	नवीन तैनाती का स्थल
1	Ms. Neetu Joshi, Judge, Family Court-I, Rudrapur, District Udham Singh Nagar.	Presiding Officer, Labour Court, Kashipur, District Udham Singh Nagar.

आज्ञा से,
आर0 मीनाक्षी सुन्दरम्,
सचिव।

वित्त अनुभाग–9

अधिसूचना

14 दिसम्बर, 2023 ई0

संख्या 175040/2023/XXVII(9)/स्टाम्प–06/2009–राज्यपाल, साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 वर्ष 1897) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने की तिथि से पंजीकरण एवं दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण एवं संबंधित पक्षों के आधार तथा वर्चुअल सत्यापन हेतु रजिस्ट्रेशन मैनुअल के नियम 292 और नियम 304 में निम्न नियमों को अंतः स्थापित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:–

नियम 292.क:– नियम 292 में उल्लिखित प्रस्तुतिकरण के स्थान के साथ साथ रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी लेखपत्रों का वर्चुअल प्रस्तुतिकरण भी स्वीकार कर सकेगा।

नियम 304.क:– रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी वीडियो कॉल सत्यापन प्रक्रिया के माध्यम एवं पक्षकारों की स्वेच्छा पर आधार प्रमाणीकरण के द्वारा भी पक्षकारों के लेखपत्र के निष्पादन की पुष्टि एवं पक्षकारों की पहचान सुनिश्चित करते हुये स्वयं को संतुष्ट कर सकेगा।

आज्ञा से,

दिलीप जावलकर,

सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English Translation of the Notification No.175040/2023/XXVII(9)/Stamp-06/2009 dated December 14, 2023 for general information.

NOTIFICATION

December *14, 2023*

No.175040/2023/XXVII(9)/Stamp-06/2009--In exercise of the powers conferred by section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act 10 of 1897), the Governor is pleased to insert the following rules in rule 292 and rule 304 of the Registration Manual from the date of publication of this notification in the Gazette, regarding the registration and presentation of documents and verification of the Aadhar of concerned parties in a virtual manner:-

Rule 292.A In addition to the presentation mentioned in Rule 292, the Registering Officer may also accept virtual presentation of instruments.

Rule 304.A The registering officer shall be able to satisfy himself by verifying the execution of the deed of the parties and ensuring the identity of the parties through the process of video conferencing verification and the process of Aadhar Authentication at the will of the parties.

By Order,

DILIP JAWALKAR,

Secretary.

खेलकूद अनुभाग

कार्यालय आदेश

26 अक्टूबर, 2023 ई0

संख्या 901/VI-3/2023-1(15)/2007—"उत्तराखण्ड खेल विभाग (राजपत्रित) सेवा नियमावली, 2023" के सुसंगत नियमों एवं 'विभागीय पदोन्नति समिति' की संस्तुति के आधार पर श्री राज्यपाल महोदय श्री राजेश मंमगाई, जिला क्रीड़ा अधिकारी को तत्काल प्रभाव से सहायक निदेशक, खेल, वेतनमान रू0 56100—177500 वेतन लेवल—10 के रिक्त पद पर पदोन्नत करते हुए खेल निदेशालय में तैनात किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2— उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। श्री राजेश मंमगाई को सहायक निदेशक, खेल निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून के पदभार के साथ—साथ अग्रिम आदेशों तक प्रधानाचार्य, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, रायपुर, देहरादून का अतिरिक्त पदभार भी प्रदान किया जाता है। इस हेतु श्री मंमगाई को कोई अतिरिक्त वेतन/भत्ते देय नहीं होंगे।

3— श्री राजेश मंमगाई को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 (दो) वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जाता है।

कार्यालय आदेश

26 अक्टूबर, 2023 ई0

संख्या 902/VI-3/2023-1(15)/2007—"उत्तराखण्ड खेल विभाग (राजपत्रित) सेवा नियमावली, 2023" के सुसंगत नियमों एवं 'विभागीय पदोन्नति समिति' की संस्तुति के आधार पर श्री राज्यपाल महोदय श्री संजीव कुमार पौरी, जिला क्रीड़ा अधिकारी को तत्काल प्रभाव से सहायक निदेशक, खेल, वेतनमान रू0 56100—177500 वेतन लेवल—10 के रिक्त पद पर पदोन्नत करते हुए खेल निदेशालय में तैनात किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2— संबंधित अधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 (दो) वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जाता है।

आज्ञा से,

अभिनव कुमार,

विशेष प्रमुख सचिव।

उच्च शिक्षा अनुभाग—02

कार्यालय ज्ञाप

14 अगस्त, 2023 ई0

संख्या 146271/XXIV-C-2/2023-06(घो0)2023—मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र थराली हेतु की गयी घोषणा 261/2023 "विधानसभा क्षेत्र थराली क्षेत्रान्तर्गत राजकीय महाविद्यालय देवाल का नाम पूर्व विधायक स्व0 शेर सिंह दानू के नाम पर रखा जायेगा" के क्रम में सम्यक् विचारोपरान्त तत्काल प्रभाव से राजकीय महाविद्यालय, देवाल (चमोली) का नाम स्व0 शेर सिंह दानू के नाम पर "शेर सिंह दानू राजकीय महाविद्यालय, देवाल (चमोली)" किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रशान्त आर्य,

अपर सचिव।

आवास अनुभाग–1

अधिसूचना

18 अगस्त, 2023 ई0

संख्या 147726/V-1/ई–54785/2023–वरिष्ठ नियोजक/मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या–948/नग्रानि/नि0प0–राज0/2023–24, दिनांकः 17.04.2023 के अनुक्रम में EXTRACT OF PARA 250 OF MANUAL OF GOVERNMENT ORDERS, 1 EDITION, U.P. GOVERNMENT PUBLICATION अध्याय–34 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत श्री बालेश्वर, संख्याधिकारी, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून के सेवा अभिलेखों में नाम परिवर्तन करते हुए "बालेश्वर" के स्थान पर "बालेश्वर मुर्थल" अंकित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

अतर सिंह,
अपर सचिव।

कृषि एवं कृषि कल्याण अनुभाग–1

विज्ञप्ति/पदोन्नति

21 अगस्त, 2023 ई0

संख्या 148082/ई–47591/XIII-1/2023-3(18)2005–कृषि विभाग, उत्तराखण्ड में अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग–1(विकास/पौध संरक्षण शाखा) में प्रोन्नति के रिक्त पद पर नियमित पदोन्नति हेतु उत्तर प्रदेश, कृषि सेवा समूह 'ख' सेवा नियमावली 1995 (उत्तराखण्ड में यथा अनुकूलित/उपान्तरित आदेश 2002) के सुसंगत नियमों एवं उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली, 2003 के प्रासंगिक प्राविधानों के अनुसार लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड हरिद्वार की संस्तुति के आधार पर श्री राज्यपाल महोदय श्री रितेश कुमार, अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग–1, (विकास शाखा) को तात्कालिक प्रभाव से कृषि सेवा श्रेणी–2 (विकास/पौध संरक्षण शाखा) में चयन वर्ष 2021–22 की रिक्ति के सापेक्ष वेतनमान रू0 15600–39100 ग्रेड वेतन रू0 5400/पुनरीक्षित वेतनमान–56100–177500 (लेबल–10) में नियमित पदोन्नति किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– श्री रितेश कुमार को निर्देशित किया जाता है कि वे पदोन्नति के फलस्वरूप उक्त पद पर तत्काल योगदान कर कार्यभार प्रमाणक कृषि निदेशक एवं शासन को शीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,
रणवीर सिंह चौहान,
अपर सचिव।

लोक निर्माण अनुभाग–1

कार्यालय ज्ञाप

14 सितम्बर, 2023 ई0

संख्या 154218/III(1)/23-01(28)अधि0/2023ई0–60728–श्री ओम प्रकाश सिंह, सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रूड़की द्वारा व्यक्तिगत कारणों से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत आवेदन पत्र/नोटिस दिनांक 19.12.2022, जो प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या–1160/895व्यक–सा0/23, दिनांक 19.08.2023 द्वारा विभागीय संस्तुति के साथ शासन को उपलब्ध कराया गया है, पर वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–2, भाग–2–4 के मूल नियम 56 "ग" तथा कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या–1844/कार्मिक–2–2002, दिनांक 09.04.2003 में विहित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक विचारोंपरान्त, श्री ओम प्रकाश सिंह, सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रूड़की को दिनांक 30.09.2023 से, सरकारी सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के तहत प्रदान करते हैं कि यदि श्री ओम प्रकाश सिंह, सहायक अभियन्ता के विरूद्ध कोई सरकारी धनराशि की देयता/बकाया हो तो उसकी वसूली श्री ओम प्रकाश सिंह के सेवा–नैवृत्तिक देयकों में से कर ली जाएगी।

आज्ञा से,

श्याम सिंह,

संयुक्त सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 01 हिन्दी गजट/01–भाग 1–2024 (कम्प्यूटर/रीजियो)

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2024-2026

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 06 जनवरी, 2024 ई0 (पौष 16, 1945 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

CHARGE CERTIFICATE

(Handing over on transfer)

November 24, 2023

No. 6388/UHC/Admin.A-II/Transfer-Posting/2023--Certified that the charge of office of the Registrar (Inspection), High Court of Uttarakhand, Nainital has been handed over by the undersigned in the **afternoon of 06th November, 2023,** in compliance of notification No. 361/UHC/Admin.A-2/2023 dated 30.10.2023.

NEENA AGGARWAL,
Relieved Officer.

Countersigned

illegible,
Registrar General,
High Court of Uttarakhand, Nainital.

CHARGE CERTIFICATE

(Taking over)
After availing L.T.C, and E.L.

November 24/06, 2023

No. 6390/XIV-71/Admin.A/2003--CERTIFIED that the charge of the office of Registrar (Inspection), High Court of Uttarakhand, Nainital has been taken over by the undersigned in the forenoon of 06.11.2023 after availing L.T.C. and Earned Leave of 06 days w.e.f. 30.10.2023 to 04.11.2023 with permission to Prefix 22.10.2023 (Sunday) and 23.10.2023 to 27.10.2023 (Dussehra Holidays), 28.10.2023 and 29.10.2023 are Saturday and Sunday and suffix 05.11.2023 (Sunday).

NEENA AGGARWAL,
Registrar (Inspection)
U.H.C. Nainital.

Countersigned
illegible,
Registrar General,
High Court of Uttarakhand, Nainital.

HIGH COURT OF UTTARAKHAND AT NAINITAL

NOTIFICATION

December 06, 2023

No. 390/UHC/Admin.A-2/2023--Shri Narender Dutt, Principal Secretary (Law)-cum-L.R, Government of Uttarakhand, Dehradun is repatriated, transferred and posted as District & Sessions Judge, Bageshwar, vice Shri Rajeev Kumar Khulbey.

This order will come into force after issuance of notification from the Government for the posting of Shri Rajeev Kumar Khulbey, District & Sessions Judge, Bageshwar as Principal Judge, Family Court, Dehradun and consequent upon his handing over charge from Bageshwar.

NOTIFICATION

December 06, 2023

No. 391/UHC/Admin.A-2/2023--Ms. Vijay Lakshmi Vihan, 2nd Additional District & Sessions Judge, Rishikesh, District Dehradun is transferred and posted as 2nd Additional District & Sessions Judge, Nainital, in the vacant Court.

This order will come into force with immediate effect.

Note:

(A) Recommendation of the name of Shri Nitin Sharma, Principal Judge, Family Court, Dehradun is being sent to the State Government for his posting as Principal Secretary (Law)-cum-L.R., Government of Uttarakhand, Dehradun, vice Shri Narender Dutt.

(B) Recommendation of the Name of Shri Rajeev Kumar Khulbey, District & Sessions Judge, Bageshwar is being sent to the State Government for his posting as Principal Judge, Family Court, Dehradun, vice Shri Nitin Sharma.

(C) Recommendation of the name of Ms. Neetu Joshi, Judge, Family Court-I, Rudrapur, District Udham Singh Nagar is being sent to the State Government for her posting as Presiding Officer, Labour Court, Kashipur, District Udham Singh Nagar.

(D) Recommendation of the name of Ms. Shadab Bano, 2nd Additional District & Sessions Judge, Rudrapur, District Udham Singh Nagar is being sent to the State Government for her posting as Judge, Family Court-I, Rudrapur, District Udham Singh Nagar vice Ms. Neetu Joshi.

Above recommendations will come into force after issuance of respective notifications from the State Government and consequently on handing over charge of present assignments by the incumbent officers of respective stations (wherever applicable).

By Order of Hon'ble the Acting Chief Justice,

Sd/-

ASHISH NAITHANI,

Registrar General.

निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

कार्यालय आदेश

21 दिसम्बर, 2023 ई0

पत्रांक 49312/ई–फाईल/ऊधमसिंह नगर /अधि0/2023–24–मुख्य कोषाधिकारी, ऊधम सिंह नगर के पत्र संख्याः 1017/अधि0/2023–2024, दिनांक 29 नवम्बर, 2023 के साथ संलग्न श्रीमती किरन कन्नौजिया के प्रत्यावेदन के द्वारा सेवा अभिलेखों में अपना नाम श्रीमती किरन कन्नौजिया के स्थान पर "किरन सिंह माथुर" करने का अनुरोध किया गया है।

अतः श्रीमती किरन कन्नौजिया के अनुरोध एवं एम0जी0ओ0 के अध्याय–34 के पैरा–250 में दी गयी व्यवस्था के आधार पर श्रीमती किरन कन्नौजिया का नाम सेवा सम्बन्धी समस्त अभिलेखों में परिवर्तित करते हुए "किरन सिंह माथुर" किये जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

डी0सी0 लोहनी,

निदेशक।

कार्यालय सम्भागीय परिवहन अधिकारी, सम्भाग–अल्मोड़ा

अधिसूचना

22 दिसम्बर, 2023 ई0

पत्रांक–2268/गति सीमा निर्धारण/2023–केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–112 की उपधारा–(2) के अन्तर्गत प्राविधानित है कि यदि राज्य सरकार का या ऐसे किसी प्राधिकारी का जो इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत हो, समाधान हो जाता है कि सार्वजनिक सुरक्षा या सुविधा की दृष्टि से या किसी सड़क या पुल के स्वरूप के कारण यह आवश्यक है कि मोटरयानों की गति निर्बंधित की जाए, तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और धारा–116 के अधीन उचित स्थानों पर समुचित यातायात चिन्ह रखवाकर या लगवाकर मोटरयानों की या किसी विनिर्दिष्ट वर्ग या वर्णन के मोटरयानों की या ऐसे मोटरयानों की जिनके साथ ट्रेलर संलग्न है या तो साधारणतया या किसी विशिष्ट क्षेत्र में या विशिष्ट सड़क या सड़कों के बारे में ऐसी अधिकतम गति सीमाएं या न्यूनतम गति सीमाएं नियत कर सकेगी जो ठीक समझे।

उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 (यथा संशोधित) के नियम–180 में वर्णित है कि किसी नगर निगम, नगर पालिका या नगर पंचायत के भीतर पुलिस अधीक्षक और अन्य क्षेत्रों में रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी अपने–अपने अधिकारिता क्षेत्र के भीतर किसी क्षेत्र में या किसी सड़क पर गति पर निबन्धन या सामान्यतया मोटर यानों या किसी विशिष्ट वर्ग या वर्गों के मोटर यानों के प्रयोग पर निबन्धन या प्रतिबंध का ऐसा आदेश जैसा वह उचित समझे दे सकता है। ऐसे आदेश अधिसूचना द्वारा सरकारी गजट में और ऐसे स्थान या मार्ग पर या उसके निकट, जहॉ वे लागू होते हैं, सूचना पट्टों के माध्यम से प्रकाशित किये जायेंगे परन्तु यह कि पर्वतीय सड़को के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक या रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी सम्भागीय परिवहन प्राधिकारी के सामान्य नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए इस नियम द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करेगा।

पर्वतीय मार्गों पर अधिकतम गति सीमा निर्धारण हेतु सचिव/आयुक्त, परिवहन उत्तराखण्ड द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में जिला प्रशासन, लोक निर्माण विभाग एवं परिवहन विभाग के अधिकारियों की एक समिति गठित की गयी है। जिसके अनुकम में अल्मोड़ा जनपद के विभिन्न मार्गों पर गति सीमा निर्धारण हेतु गठित समिति द्वारा गति सीमा निर्धारण का प्रस्ताव सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, अल्मोड़ा को प्रस्तुत किया गया। इस प्रस्ताव को सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, अल्मोड़ा की बैठक दिनांक 04.10.2023 में अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है, जिसके अनुसार अल्मोड़ा जनपद के विभिन्न मार्गों पर वाहनों की अधिकतम गति सीमा निम्नवत् निर्धारित की जाती है–

अल्मोड़ा जनपद के विभिन्न मार्गों हेतु वाहनों की अधिकतम गति सीमा

क्र0सं0	मार्ग का नाम एवं प्रकार	वाहनों हेतु निर्धारित अधिकतम गति सीमा (किमी0/घ0)		
		हल्के वाहन	भारी वाहन	दुपहिया वाहन
1.	शैलबैण्ड, अल्मोड़ा–दन्या–पनार मार्ग (एन0एच0–309 B)	40	30	35
2.	क़्वारब–कोसी तक कोसी–घिंघारिखाल–द्वाराहाट–चौखुटिया–पाण्डुवाखाल मार्ग (एन0एच0–87 E)	40 35	30 25	35 30
3.	पाण्डेखोला, अल्मोड़ा–ताकुला–कनगाड़छिना (एन0एच0 309 A)	40	30	35
4.	बाड़ेछीना सेराघाट मोटर मार्ग (एस0एच0–03)	30	25	30
5.	कोसी–सोमेश्वर–कौसानी मोटर मार्ग (एस0एच0–11)	35	30	30
6.	सुवाखान–दौडम–चलनीछीना–दयूनाथल–डुबरौली मो0मा0 (एस0एच0–59)	25	20	25
7.	काफलीखान–भनोली–सिमलखेत मार्ग (एस0एच0–57)	25	20	25
8.	गिरीछीना–सोमेश्वर–लोध–बिन्ता मोटर मार्ग (एच0एच0–58)	25	20	25
9.	आरतोला–जागेश्वर–नैनी मोटर मार्ग (एम0डी0आर0–09)	25	20	25
10.	एन0टी0डी0–कफड़खान–धौलछीना मोटर मार्ग (एम0डी0आर0–03)	25	20	25

11.	कोसी–दौलाघाट–कोरीछीना–बग्वालीपोखर–बिन्ता मोटर मार्ग (एम0डी0आर0–02)	25	20	25
12.	बग्वालीपोखर–गगास मोटर मार्ग (एम0डी0आर0)	30	25	30
13.	धौलादेवी–खेती–जटेश्वर मोटर मार्ग (एम0डी0आर0)	25	20	25
14.	खेती–धूरागांव–सेराघाट मोटर मार्ग (एम0डी0आर0)	25	20	25
15.	कर्बला–लक्ष्मेश्वर तिराहा (एस0एच0–06)	25	20	25
16.	मोतियापाथर–शहरफाटक–बाल्का (एस0एच0–10)	30	25	30
17.	सिकुड़ाबैण्ड, अल्मोड़ा–लमगड़ा–शहरफाटक (रा0मा0–39)	30	25	30
18.	मजखाली सोमेश्वर मोटर मार्ग (मु0जि0मा0–08)	25	20	25
19.	कोसी–दौलाघाट–कोरीछीना मार्ग (मु0जि0मा0–02)	25	20	25
20.	अल्मोड़ा–रामेश्वर लिंक मार्ग (मु0जि0मा0–11)	25	20	25
21.	कोसी–खूंट–शीतलाखेत–कठपुड़िया–दौलाघाट मार्ग (मु0जि0मा0–12)	25	20	25
22.	द्वारसों–काकड़ीघाट मार्ग (मु0जि0मा0–13)	25	20	25
23.	खूंट–काकड़ीघाट मार्ग (मु0जि0मा0–14)	25	20	25
24.	भतरौंजखान–भिकियासैंण–चौखुटिया मो0मा0 (एस0एच0–12)	40	30	35
25.	बिन्ता–द्वाराहाट–विभाण्डेश्वर–ईडा–रानीखेत मोटर मार्ग (एस0एच0–58)	30	25	30
26.	रानीखेत–जालली–मासी मोटर मार्ग (एम0डी0आर0–07)	30	20	30
27.	गनाई–जौरासी मोटर मार्ग (एम0डी0आर0–10)	25	20	25
28.	मासी–गैरखेत–बल्मरा–बसई–सराईखेत मोटर मार्ग (एम0डी0आर0)	25	20	25
29.	द्वाराहाट–दूनागिरी मोटर मार्ग (एम0डी0आर0)	30	25	30
30.	द्वाराहाट–सुरईखेत मोटर मार्ग (एम0डी0आर0)	30	25	30
31.	भिकियासैंण–बाड़ीकोट–बेल्टी–विनायक मोटर मार्ग (एम0डी0आर0)	25	20	25
32.	द्वाराहाट–असगोली मोटर मार्ग (एम0डी0आर0)	25	20	25
33.	खैरना–रानीखेत, गनियाधोली–ताड़ीखेत–भतरौंजखान–चौड़ीघट्टी–मोहान (एस0एच0–14)	35 30	25 20	30 25
34.	मरचूला–भैरंगखाल मोटर मार्ग, मनियाझाला–कटपटिया–ईकूखेत–सराईखेत–घनियाल (एस0एच0–32)	30	25	30
35.	भिकियासैंण–जैनल–स्याल्दे–देघाट–घटगाड़, चूलेरासीम से चौखुटिया (बाखली) मोटर मार्ग (एस0एच0–33)	30	25	30
36.	जैनल–मानिला–डोटियाल–सल्ट–मरचूला मोटर मार्ग (एस0एच0–52)	30	25	30
37.	रिची–बिल्लेख–भुजान मोटर मार्ग (एस0एच0–71)	25	20	25
38.	डोटियाल–नैंल–चम्पानगर (स्याल्दे) (एम0डी0आर0)	25	20	25
39.	चिमटाखाल–भौनखाल–भतरौंजखान मोटर मार्ग (एम0डी0आर0)	25	20	25
40.	भिकियासैंण बासौट घट्टी मोटर मार्ग (एम0डी0आर0)	25	20	25
41.	सौनी–ड्यौड़ाखान–सिलोर–कुनस्यारी–तिपोला–बड़ैत–कफड़ा मोटर मार्ग (एम0डी0आर0)	25	20	25
42.	चौबटिया–कुनलाखेत–बमंस्यू मोटर मार्ग (एम0डी0आर0)	25	20	25
43.	ताड़ीखेत–पीपली–मंजूरखान मोटर मार्ग (एम0डी0आर0)	25	20	25
44.	अन्य समस्त एवं ग्रामीण मार्ग	25	20	25
45.	जनपद के समस्त मार्गों पर अवस्थित आबादी/स्कूल/अस्पताल क्षेत्र हेतु	20	20	20

जनपद अल्मोड़ा के नगरपालिका क्षेत्र–अल्मोड़ा, चिलियानौला एवं नगर पंचायत क्षेत्र–द्वाराहाट, चौखुटिया, भिक्यिासैंण के समस्त नगरीय क्षेत्र हेतु दुपहिया/हल्के एवं भारी वाहनों हेतु निम्नवत् अधिकतम गति सीमा निर्धारित किये जाने की संस्तुति की गयी है–

क0सं0	मार्ग/क्षेत्र का नाम	हल्के/दुपहिया वाहनों हेतु अधिकतम गति सीमा (कि0मी0/घ0)	भारी वाहनों हेतु अधिकतम गति सीमा (कि0मी0/घ0)
01	नगरपालिका क्षेत्र–अल्मोड़ा, चिलियानौला एवं नगर पंचायत क्षेत्र–द्वाराहाट, चौखुटिया, भिकियासैंण के क्षेत्रान्तर्गत समस्त नगरीय क्षेत्र हेतु।	20	15

डॉ0 गुरदेव सिंह,

सम्भागीय परिवहन अधिकारी,

अल्मोड़ा।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 01 हिन्दी गजट/01–भाग 1–क–2024 (कम्प्यूटर/रीजियो)

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2024-2026

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 06 जनवरी, 2024 ई0 (पौष 16, 1945 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

सूचना

मेरे continuous certificate of dischage (C.D.C) नं0 KOL101233 में मेरा नाम देश दीपक सिंह के साथ मेरे पिता का नाम नन्दन सिंह संयुक्त कर देश दीपक नन्दन सिंह दर्शाया गया है। जबकि मेरा वास्तविक नाम देश दीपक सिंह है। भविष्य में मुझे देश दीपक सिंह पुत्र श्री नन्दन सिंह के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

देश दीपक सिंह पुत्र श्री नन्दन सिंह
निवासी ग्राम गेनार पोस्ट कपकोट जिला
बागेश्वर उत्तराखण्ड–263632

सूचना

मेरे P.P.O. No. S/036013/2010 आर्मी में त्रुटिवश मेरा नाम REJANDAR SINGH गलत दर्ज हो गया है। जबकि मेरा वास्तविक नाम RAJANDAR SINGH हैं भविष्य में मुझे RAJANDAR SINGH S/o PARTAP SINGH नाम से जाना जाय।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

RAJANDAR SINGH S/o PARTAP SINGH
निवासी ग्राम बिठोरिया नं0 1 देवभूमि इनक्लेव
पो0ओ0 हरिपुर नायक हल्द्वानी नैनीताल, उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरे पेन कार्ड नं0 DEOPR6631M में त्रुटिवश मेरा नाम मुकेश रानी गलत दर्ज है। जबकि मेरा वास्तविक नाम लक्ष्मी देवी है। भविष्य में मुझे लक्ष्मी देवी पत्नी सोनू के नाम से जाना जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

लक्ष्मी देवी पत्नी सोनू
निवासी 728 बाल्मीकि बस्ती
ऋषिकेश देहरादून।

सूचना

मेरे पुत्र की एलआईसी पॉलिसी संख्या–272497968 में उसका नाम कृष्णपाल पुत्र बालेश दर्ज है। जबकि उसका वास्तविक नाम कृष्णपाल उर्फ अभिनव सैनी पुत्र बालेश है। भविष्य में उसे इसी नाम से जाना जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

बालेश
निवासी 364/7 बी शेखपुरी
थाना गंगनहर रूडकी हरिद्वार

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 01 हिन्दी गजट/01–भाग 8–2024 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।